

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 प्रकरण संख्या 12/29 (आ.क.) शीर्षक जमनादेवी बनाम देवगढ़

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
10/11/25	<p>पञ्चावली पेश हुई। उभय पक्ष आदिवक्ता (उपाध्यत) अपाधी सेला 01 से 06, 08 से 15, 17 बावजूद सूचना तामिल के अनुपाद्यत/ काटवाट आगजे वगवाई गई किलु अपाधी सेला 01 से 06 08 से 15, 17 की ओर ले मोड़ी भी उपाध्यत 18/11/25 अपाधी सेला 01 से 06, 08 से 15, 17 के किलुड एकरका मारवाही के आदेश दिह जाते हैं। अधिका प्राधी के बदार हेतु निवेदन किया गया। उभय पक्ष आदिवक्ता की वदम खुनी गरी अपाधी सेला 16 के आदिवक्ता के मूल वाड के निस्तारण तकराजम रिपोर्ट की प्रथास्थिति वनार रखने हेतु संदमति प्रदान की। पञ्चावली का अवलोकन किया गया। वदम पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टमा प्रकण बनना, सुविधा सेतुवन, अप्ररनीक समे तीनों बिनु प्राधी के पक्ष में हीने से प्राधी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अनामोसित प्रतीत होता है। अतः प्राधी का प्राधीना पर कलगरि आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धाटा 151 जा.सी का स्वीकार किया जाकर अपाधी गिण को पाठ-ड किया जाता है कि शान लाल जी का जेडा के ज्वाला सेला 37 काराजी सेला 05 रकबा 0.1600 हेक्टेयर तथा गाम कोटा के ज्वाला सेला 39 काराजी सेला 337, 343, 344 रकबा 0.5600 हेक्टेयर तथा गाम मुन्दवा के ज्वाला सेला 147 मल्ला सेला 361, 944 रकबा 0.1600 हेक्टेयर तथा गाम मुन्दवा के ज्वाला सेला 148 रकबा सेला 257 रकबा 0.3000 हेक्टेयर श्वमे वा मूल वाड के निस्तारण तकराजम रिपोर्ट की प्रथास्थिति काट रखेगी। पञ्चावली फेसल शुरुआत होकर नम्बर सेकक की जावे। मूल पञ्चावली के लाम संलग्न की जावे।</p>	<p>सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला राजसमन्द</p>